

**फर्दे अहकाम**

फॉर्म (अ)


अज अदालत ..... ३५९७३/३१११/२०१९ ..... सिकराच (दीर्घा) .....

सर्वकार वकील ..... सरांचा व वकीलदार .....

किस्म मुकदमा ..... आपील नामान्तरण मु० वं० ..... १/२०१९ .....

सं. ३११९. ११.६.१३  
आय पंचायत कालवर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इन्विशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
१.१२.२०	<p>पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। अपील पर वरुदा के तथ्यों पर गौर किया गया। अपील के तथ्यों अनुसार खाता सं. १०० के ख.नं. २०४ (पुराना खाता सं. ८८ व ख.नं. १२४) की भूमी ग्यारसा पुत्र हुक्मा के दर्ज रही थी, जो लाडीलाद फौज होम पर उलमा विरास्तम नामान्तरण अपीलॉट के पिता दाज्या (ग्यारसा का चाचेरा भाई) के नाम दर्ज नहीं अन्य के नाम दर्ज कर दिया। अपील के तथ्यों अनुसार ग्यारसा पुत्र हुक्मा का विरास्तम नामान्तरण दाज्या पुत्र मुह्या के नाम दर्ज होम पर दाज्या का विरास्तम नामान्तरण सं. १४९ दि. १.१.१८ की वदस्तीवदार ठारा खारिज कर दिया है।</p> <p>अतः ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी द्वारा ८८ RTA के तहत वाद दायर करके ही नियमानुसार अनुरोध प्राप्त कर सकते हैं।</p> <p>अतः अपीलॉट्स की अपील विधिक प्रावधानों के अनुसार पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय आज दि. १.१२.२० को खुले ज्वा. में सुनाया गया।</p>	

  
 (.....)  
 दिनांक १२/१२/२०  
 जज अदालत

